प्रेषक

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 15 मार्च, 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में ट्रामा सेन्टर तथा ट्रामा एण्ड मास कैजुएलिटी प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत सामु0स्वा0केन्द्र, धामपुर जनपद बिजनौर में ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5729/17फ/नि0नि0अ0/2018-19, दिनांक 25.02.2019 व शासनादेश संख्या-229/2015/2514/पॉच-6-2015-19(नि0)/15 दिनांक 07.10.2015, शासनादेश संख्या-3975/पॉच-6-19-19(नि0)/15 दिनांक 14.01.2019 एवं शासनादेश संख्या-73/2019/566(क)/पॉच-6-19-19(नि0)/15 दिनांक 15.03.2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 07.10.2015 द्वारा ट्रामा सेन्टर तथा ट्रामा एण्ड मास कैजुएलिटी प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत सामु0स्वा0केन्द्र, धामपुर जनपद बिजनौर में ट्रामा सेन्टर का भवन निर्माण कराये जाने हेतु रू0-166.20 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0-83.10 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 15.03.2019 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 198.04 लाख प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- अतएव अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के प्रस्तावानुसार मूल स्वीकृति लागत के अन्तर्गत समस्त कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण प्रश्नगत कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-114.94 (रू0 एक करोड चौदह लाख चौरानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 व शासनादेश संख्या-229/2015/2514/पॉच-6-2015-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है कता नहीं है।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

19(नि0)/15 दिनांक 07.10.2015 एवं शासनादेश संख्या-73/2019/566(क)/पॉच-6-19-19(नि0)/15 दिनांक 15.03.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. पुनरीक्षित प्रयोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को शासन द्वारा प्रायोजना की आकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
3. शासन द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
4. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियॉ एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया हैा जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि शासन का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 की होगी।
6. यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
7. प्रश्नगत कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा लिया जायेगा।
8. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
9. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
10. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
11. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है।
12. उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में अनुदान संख्या-32 लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-09-ट्रामा सेन्टर तथा ट्रामा एण्ड मास कैजुएलिटी प्रबन्धन योजना-24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है कता नहीं है।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
नर्वेद सिंह
विशेष सचिव।

**संख्या-74/2019/566(क)(1)/पांच-6-2019, तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय , उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बिजनौर ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
7. निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
8. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर ।
10. प्रबन्ध निदेशक/संबंधित परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/बिजनौर।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
12. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
13. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
14. विभागीय वेबमास्टर।

आज्ञा से,
हरनाम
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है कता नहीं है।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।